**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-\*94**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)**

बढ़ती बेरोज़गारी

\*94. श्री राम कुमार कश्यपः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बेरोज़गारी की वजह से देश का मानव संसाधन बर्बाद हो रहा है और पिछले दो वर्षों में देश में बेरोज़गारी में वृद्धि देखी गई है;

(ख) क्या जहां एक ओर बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही है वहीं कई उद्योगों को कंपनियों हेतु कौशल प्राप्त व्यक्तियों की कमी की समस्या भी पेश आ रही है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में बेरोज़गारी के कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो बेरोज़गारी को कम करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री** (**स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारू दत्तात्रेय)**

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

\*

**श्री राम कुमार कश्यप द्वारा “बढ़ती बेरोज़गारी” के संबंध में 29.07.2015 को पूछे गए राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या \*94 के भाग (क) से (ग)**  **के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) एवं (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 2009-10 के दौरान 0.95 करोड़ से बढ़कर 2011-12 के दौरान 1.06 करोड़ हो गई है तथा साथ-साथ इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर भी 2.0 प्रतिशत से आंशिक रूप से बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गई है। देश में कौशल मांग एवं पूर्ति के अंतराल के समाधान के लिए, सरकार ने “कुशल भारत” पहल प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षित करना है। सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमशीलता पर राष्ट्रीय नीति की भी घोषणा की है जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, कौशल विकास को उन्नत नियोजनीयता तथा उत्पादकता से जोड़ना है। सरकार ने रोजगार मिलान हेतु पोर्टल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए रोजगार संबंधी सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय आजीविका सेवा परियोजना भी कार्यान्वित की है।

(ग) बेरोजगारी में आंशिक रूप से वृद्धि के कारण मुख्यतः बदलता हुआ जनसांख्यिकीय ढांचा तथा अर्थव्यवस्था में हो रहे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल कार्यबल की गैर-उपलब्धता भी हो सकते हैं। कुशल कार्यबल की गैर-उपलब्धता के समाधान के लिए भारत सरकार ने 12वीं योजना में 5 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने, बाजार संबंधी आवश्यकताओं और कौशल विकास तथा एक समुचित कौशल विकास ढांचा तैयार करने हेतु सभी संबंधितों से समन्वय करने, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए कौशलयुक्त जनशक्ति की मांग एवं पूर्ति के बीच संबंध विच्छेद को दूर करने, कौशल उन्नयन और नए कौशल निर्माण के बारे में अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों हेतु व्यापक नीति निर्माण के लिए एक अलग कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का सृजन किया है। सरकार शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) और कौशल विकास पहल योजनाओं के अंतर्गत माड्यूलर पाठ्यक्रमों के जरिए कौशल विकास के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। सरकार विभिन्न सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाएं संचालित करती है- जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा), सितम्बर, 2013 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के रूप में पुनः संरचित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)। इसके अतिरिक्त, सरकार श्रम-सघन विनिर्माण का संवर्धन कर रही है तथा पर्यटन और कृषि-आधारित उद्योगों के संवर्धन द्वारा रोजगार अवसरों को बढ़ा रही है।

\*\*\*\*\*\*